



दिल्ली विकास प्राधिकरण
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

मुख्य योजना - 2021 की समीक्षा
Master Plan Review-2021

पंजीकरण फार्म
REGISTRATION FORM

“ओपन हाउस मीट्स”
“OPEN HOUSE MEETS”

फार्म प्रतिभागी द्वारा भरा जाए
Form to be filled by Participant

नाम Name	Tara Chand Rawool
प्रतिनिधि : Representing : सरकारी विभाग / फेडरेशन / संघ (एसोसिएशन) / आर डब्लू ए / व्यक्तिगत Government Department/ Federation/Association/RWA/ Individual	निम्न 4145 Ward - 51 ROHINI 2087
वर्तमान स्थिति Present Position	
फोन : कार्यालय Phone : Office आवास Residence मोबाइल Mobile	011-27566949 09810428166
फैक्स : Fax :	
ई-मेल E-mail	
पता : Address :	19, Meitri Apts Sec 9 ROHINI
हस्ताक्षर : Signature :	
तिथि : Date :	11/5/2012

100

Suggestion submitted
to moderator also

Zone - H

OFFICE OF THE J.R. (P.O.)
MPR/TC, D.D. H-2
City No. 3012
Dated 11/5

“अपने पंजीकरण फार्म ओपन हाउस मीट्स के स्थल पर जमा कराएं
“Submit your registration form at the venue of Open House meets.”

निराला पार्श्वद
उत्तरी दिल्ली नगर निगम
सेवा में,

क्रमांक : W-51/1/2012
दिनांक : 1-5-2012

100

श्रीमान आयुक्त योजना
दिल्ली विकास प्राधिकरण
विकास मीनार, आई0टी0ओ0
नई दिल्ली

विषय—: रोहिणी क्षेत्र में 26 मी0 से 60 मी0 तक के प्लॉट पर जोड़ों का नक्शा नियमित करवाने के सम्बन्ध में।

मान्यवर,

रोहिणी क्षेत्र में 90 प्रतिशत से ज्यादा आबादी 26 मी0, 32 मी0, 48 मी0, एवं 60 मी0 के मकानों में रहती है। यहाँ पर निवासियों ने अपनी आवश्यकता अनुसार ज्यादातर मकानों को जोड़ों के रूप में बना रखा है। इसको जनहित में सरकार द्वारा मान्यता दी जानी चाहिये एवं भविष्य में जोड़ों का नक्शा नियमित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित कारणों से पुनः शुरू की जानी चाहिये ऐसा मास्टर प्लान 2021 लागू होते ही पहले लगभग 100 जोड़ों के नक्शों पास किये जा चुके हैं।

1. रोहिणी में प्लॉटों की अलाटमेंट पहली बार 1981 में हुई। तीस वर्षों में परिवार का स्वरूप कई गुणा बढ़ गया है। अतः जोड़े बनने से परिवार एक ही जगह रह सकेगा तथा कम बिजली, पानी, सीवर जैसी मुलभूत सुविधाओं में काम चलाया जा सकेगा।
2. चार मंजिल मकान बनने में जोड़ों का नक्शा पास होने पर स्ट्रक्चर मजबूत रहेगा। तथा भुकम्प की स्थिति में नुकसान नहीं के बराबर होगा।
3. 26 मी0 से 60 मी0 के मकान में पार्किंग केवल जोड़ों का नक्शा नियमित होने पर ही सम्भव है। जो आज के समय अति आवश्यक है।

मेरा आपसे अनुरोध है कि बने हुये जोड़ों को पास किया जाये एवं जनहित में जोड़ों के नक्शों को पुनः नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की जाये।

धन्यवाद सहित।



(ताराचन्द बंसल)

19 मैत्री अपार्ट0 सैक्टर-9

रोहिणी दिल्ली-85

9810428166

471

निगम पार्षद
उत्तरी ? ली नगर निगम
सेवा में,

100

क्रमांक : W-51/1/2012
दिनांक : 1-5-2012

श्रीमान आयुक्त योजना
दिल्ली विकास प्राधिकरण
विकास मीनार, आई0टी0ओ0
नई दिल्ली

विषय—: रोहिणी क्षेत्र में 26 मी0 से 60 मी0 तक के प्लॉट पर जोड़ों का नक्शा नियमित करवाने के सम्बन्ध में।

मान्यवर,

रोहिणी क्षेत्र में 90 प्रतिशत से ज्यादा आबादी 26 मी0, 32 मी0, 48 मी0, एवं 60 मी0 के मकानों में रहती है। यहाँ पर निवासियों ने अपनी आवश्यकता अनुसार ज्यादातर मकानों को जोड़ों के रूप में बना रखा है। इसको जनहित में सरकार द्वारा मान्यता दी जानी चाहिये एवं भविष्य में जोड़ों का नक्शा नियमित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित कारणों से पुनः शुरू की जानी चाहिये ऐसा मास्टर प्लान 2021 लागू होते ही पहले लगभग 100 जोड़ों के नक्शों पास किये जा चुके हैं।

1. रोहिणी में प्लॉटों की अलाटमेंट पहली बार 1981 में हुई। तीस वर्षों में परिवार का स्वरूप कई गुणा बढ़ गया है। अतः जोड़े बनने से परिवार एक ही जगह रह सकेगा तथा कम बिजली, पानी, सीवर जैसी मुलभूत सुविधाओं में काम चलाया जा सकेगा।
2. चार मंजिल मकान बनने में जोड़ों का नक्शा पास होने पर स्ट्रक्चर मजबूत रहेगा। तथा भुकम्प की स्थिति में नुकसान नहीं के बराबर होगा।
3. 26 मी0 से 60 मी0 के मकान में पार्किंग केवल जोड़ों का नक्शा नियमित होने पर ही सम्भव है। जो आज के समय अति आवश्यक है।

मेरा आपसे अनुरोध है कि बने हुये जोड़ों को पास किया जाये एवं जनहित में जोड़ों के नक्शों को पुनः नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की जाये।

धन्यवाद सहित।



(ताराचन्द बंसल)
19 मैत्री अपार्ट0 सैक्टर-9
रोहिणी दिल्ली-85
9810428166

470

निगम पार्षद
उत्तरी ली नगर निगम

क्रमांक :

दिनांक :

वैश्वी सरकारी योजना / व्यवसाय
कोषागार / कोषागार / कोषागार / कोषागार
कोषागार / कोषागार / कोषागार / कोषागार